उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग 3

संख्या-34/2025/986/तीस-3-2025

लखनऊः दिनांकः 06 मई, 2025

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री आनन्द प्रताप राव, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) को प्रोन्नति की तिथि से वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू0 15,600-39,100/-, ग्रेड वेतन रू0 5400/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रू0 56,100-1,77,500/-) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री आनन्द प्रताप राव, नवप्रोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर श्री राव की पारस्परिक ज्येष्ठता यथासमय यथानियम बाद में निर्धारित की जायेगी। श्री राव की उक्त पदोन्नति, प्रकरण से सम्बन्धित लंबित प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही/याचिका, यदि कोई हो तो, में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3- श्री राव की तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

4- श्री राव उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

अमित गुप्ता

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-34/2025/986(1)/तीस-3-2025, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उप सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 126(4)/65/पी0/एस-1(9)/2024-25, दिनांक 17.04.2025 के क्रम में।
5. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. संबंधित अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपनी योगदान आख्या परिवहन आयुक्त कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा शासकीय कार्यहित में पूर्व पद के पदीय दायित्वों का निर्वहन अग्रिम आदेशों तक यथावत करते रहेंगे।

8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।